

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : भुवनेश्वर सिंह चौहान (आर.ए.एस)

राजस्व अपील सं. 03/2024

GCMS No. 2024/14

अपीलांट-	बनाम	उत्तरदातागण-
1. अमर सिंह पुत्र श्री कोलसिंह, जाति राजपूत, निवासी सांखलों की ढाणी तह. कल्याणपुर, जिला बालोतरा		1. पुखराज पुत्र श्री भंवरदास तह. कल्याणपुर, 2. ग्राम पंचायत कल्याणपुर 3. शम्भुसिंह पुत्र विरदसिंह जाति राजपूत, निवासी ढाणी सांखला तहसील कल्याणपुर। 4. जगदीश पुत्र शंकर मंगवाल निवासी धर्मसर, तहसील कल्याणपुर।

पंचायत निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1996 एवं नियम 1955 विरुद्ध निरस्त करने पट्टा विलेख संख्या 28 मिसल संख्या 13/2023/24 दिनांक 20.09.2023 जो ग्राम पंचायत कल्याणपुर, द्वारा पुखराज के नाम जारी पट्टा के विरुद्ध में पेश कि गई।

उपस्थित:-

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह उपस्थित।
02. विप्रार्थी संख्या 01, 03 व 04 की ओर से अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 14.01.2026

1. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 पुखराज के पक्ष में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 28 दिनांक 20.09.2023 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। तथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया गया। तथा शम्भुसिंह पुत्र विरदसिंह जाति राजपूत की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त विवादित भूखण्ड पजीबद्ध दस्तावेज के जरिये से उक्त भूखण्ड को खरीद किया गया एवं उक्त आवेदन को दिनांक 08.07.2025 को स्वीकार कर उक्त आवेदक को गैर निगराकार संख्या 03 जोड़ने का आदेश दिया गया।
2. प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी का कब्जा, स्वामित्वसुदा एवं पंजीबद्ध विक्रय पत्र के जरिये खरीद किये गये एक भूखण्ड गांव कल्याणपुर, के नागाणा रोड पर स्थित है तथा दिनांक 24.07.2018 को नेनूदेवी पत्नी श्री रूपाराम, निवासी बागलोप से प्रतिफल की राशि अदा कर पंजीबद्ध बेचाननामा के जरिये उक्त भूखण्ड खरीद किया तथा उक्त भूखण्ड के पास में एक अन्य भूखण्ड भी स्थित है, जो प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.08.2022 को विक्रय पत्र के जरिये रूपाराम चौधरी पुत्र श्री दुर्गाराम से खरीद किया जिसका पंजीयन दिनांक 23.08.2022 उप पंजीयक विभाग कल्याणपुर के कार्यालय में किया गया है उक्त भूखण्ड के पडौस में उत्तर दिशा में बुद्धसिंह व हेमसिंह का ही भूखण्ड व दक्षिण दिशा में अमर सिंह पुत्र श्री रामसिंह का भूखण्ड पूर्व में खाली जमीन, पश्चिम में मंडली कल्याणपुर स्टेट हाईवे सड़क को दर्शाये है। उक्त दोनों भूखण्डों पर वक्त खरीद से ही निगरानीकर्ता/प्रार्थी का ही कब्जा व स्वामित्व है। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की चारदीवारी का निर्माण कार्य भी करवाया गया, लेकिन तत्कालीन सरपंच द्वारा निगरानीकर्ता की कब्जासुदा, स्वामित्वसुदा भूखण्ड का पट्टा गैर कानूनी रूप से अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया है, जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता/प्रार्थी को जून माह के प्रथम सप्ताह में हुई जब तक मौके पर उक्त भूखण्डों को बेच दिया था, वहां पर अप्रार्थी संख्या 01 मिला एवं जिसने उक्त भूखण्ड अपना पट्टासुदा होना बताया। तब प्रार्थी ने उक्त पट्टे के संबंध में पंचायत कार्यालय कल्याणपुर से जानकारी प्राप्त की एवं सूचनासिद्धिपि प्राप्त कर उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत की।



आतारक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

3. उक्त भूखण्ड को पूर्व में पट्टा संख्या 28 हेमसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह के नाम से विकास अधिकारी बालोतरा द्वारा दिनांक 15.12.1974 को जारी किया एवं उक्त भूखण्ड पर हेमसिंह व उनके वारिसान् का ही कब्जा व स्वामित्व रहा। उक्त पट्टे को खारिज करवाने हेतु अपर जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष रूपाराम पुत्र दुर्गाराम द्वारा निगरानी संख्या 04/2010 प्रस्तुत की गई थी जिसका निर्णय पंचायत निगरानी संख्या 4/2010 रूपाराम बनाम अणद कंवर पत्नि मदनसिंह पुत्री नाथूसिंह के नाम से अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा दिनांक 31.03.2011 को पारित किया गया जिसमें पट्टा संख्या 28 को यथावत रखते हुए प्रस्तुत निगरानी को खारिज करते हुए विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा द्वारा हेमसिंह के नाम से ग्राम कल्याणपुर में उक्त भूखण्ड के संबंध में दिनांक 15.12.1974 को जारी पट्टा को विधि अनुरूप मानते हुए प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया गया था। तत्पश्चात अणद कंवर पत्नि मदनसिंह द्वारा नेनू देवी पत्नि रूपाराम को बेंचान किया गया तथा नेनू पत्नि रूपाराम द्वारा अमरसिंह को उक्त भूखण्ड का पंजीबद्ध बेंचान किया गया। कि ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा निगकार को निर्माण हेतु दिनांक 13.01.2023 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। जिसमें यह तथ्य भी अंकित किये कि आबादी भूमि के खसरा नम्बर 237 में स्थित है। भूखण्ड पर निर्माण कार्य करवाने बाबत ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं होने बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।
4. अपीलाधीन अभिलेख प्राप्त होने पर मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षकारों की बहस सूनी। दौराने बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी मौखिक बहस में यह तर्क दिया कि ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा आलौच्य पट्टा विधि विरुद्ध तरीके से जारी किया गया है, क्योंकि उक्त भूखण्ड का पट्टा पूर्व में हेमसिंह पुत्र नाथूसिंह के पक्ष में विकास अधिकारी बालोतरा द्वारा दिनांक 15.12.1974 को पट्टा संख्या 28 जारी किया गया था एवं उक्त भूखण्ड का स्वामित्व हेमसिंह के परिवार का रहा एवं अपनी जायज जरूरत के आधार पर उक्त भूखण्ड का बेंचान नेनू पत्नि रूपाराम को किया गया एवं नेनूदेवी द्वारा अमरसिंह के पक्ष में पंजीबद्ध बेंचान किया गया। जिससे यह साबित होता है कि उक्त भूखण्ड पर एक मात्र कब्जा प्रार्थी का है। प्रार्थी अधिवक्ता ने यह भी बताया कि ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा प्रार्थी के पक्ष में निर्माण बाबत अनापति प्रमाण भी वक्त वक्त विधि अनुसार जारी किये गये हैं। अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 से मिलीभगत कर बिना कब्जा होते हुए भी आलोचित पट्टा प्राप्त किया है। तथा अनिगराकार का उक्त आलोच्य पट्टे से पूर्व कोई कब्जा अथवा उनके हक बाबत दस्तावेज नहीं है एवं न ही पत्रावली पर पेश किये हैं। जो अपास्त/खारिज करने का निवेदन किया।
5. अप्रार्थी सं.01 के अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस में बताया कि मौके पर अप्रार्थी पुखराज 50 वर्षों से पुराना कब्जा है इस कारण वैध रूप से गैरनिगराकार के पक्ष में विधिवत जारी किया गया है। जो सही है। उक्त पट्टाशुद्धा भूमि का दिनांक 06.12.2023 को सहप्रतिफल शम्भुसिंह पुत्र विरदसिंह जाति राजपूत के हक में बेंचान बेंचान कर दिया गया है व उक्त भूमि पर अब गैरनिगरानीकर्ता शम्भुसिंह मौके पर काबिज है। उक्त पट्टाशुद्धा भूमि का मालिकाना हक ग्राम पंचायत में निहित है। इस ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने अपनी बहस में यह भी बताया कि उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता या हक पूर्वाधिकारियों का कोई कब्जा नहीं रहा व न है मात्र पट्टाधारक एवं गैरनिगरानीकर्ता 03 व 04 को तग परेशान करने की बदनियति पूर्वक वर्तमान निगरानी पेश की जो खारिज की जावें। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1995 के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किये गये अनापति प्रमाण पत्र अवैध है।
6. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली से यह जाहिर होता है। कि अप्रार्थी सं 02 ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा जिस दिनांक 05.07.2023, 05.08.2023 एवं 20.08.2023 का बैठक कार्यवाही होना बताया है जो ग्राम पंचायत कल्याणपुर से प्राप्त बैठक रजिस्टर में अंकित नहीं है। उक्त आलौच्य पट्टा राजस्थान पंचायतराज नियम 157 पुराने गृहों का विनियमितकरण की धारा "ख" के अनुसार 50 वर्षों के बने पुराने मकानों हेतु पट्टे के आधार पर जारी किया जाना दर्शाया गया है, लेकिन सम्पूर्ण पट्टे के रिकोर्ड में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे यह तथ्य साबित होता है।
7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी/निगरानीकर्ता की निगरानी को स्वीकार कर आलौच्य पट्टा संख्या 28 दिनांक 20.09.2023 जो ग्राम पंचायत कल्याणपुर के द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया जो निरस्त किया जाता है।
8. पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
9. आदेश दिनांक 14.01.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(भुवनेश्वर सिंह चौहान)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

बालोतरा